# ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES Ansari Nagar, New Delhi-110029

\*\*\*\*\*

F.No.20-06/2020- Estt. I

Dated: 22.11.2021

## OFFICE MEMOARNDUM

Sub: Preventive measures to contain the spread of Novel Corona virus (COVID-19) Resumption of Biometric attendance - regarding.

\*\*\*\*\*

In pursuance of O.M. No.11013/9/2014-Estt.A-III dated 1st November, 2021 issued by the Ministry of Personnel, Public Grievance and Pensions, Department of Personnel & Training on the above subject, it has been decided to resume biometric attendance for all levels of employees, with effect from <a href="Wednesday the 1st December">Wednesday the 1st December</a>, 2021. Consequence of following measures will be ensured:

- (a) Sanitizers are mandatorily placed beside biometric machines and all employees sanitize their hands before and after marking of attendance.
- (b) Physical distancing of six feet must be maintained by all employees while marking their attendance. If required, additional biometric attendance machine may be installed to avoid overcrowding.
- (c) All employees shall be required to wear masks/face covers, at all times, including while waiting to mark their attendance.
- (d) As far as possible, designated personnel should be deployed near bio-metric stations to clean/wipe the touchpad/scanner areas of biometric scanners frequently. Such personnel will also guide employees to maintain COVID appropriate behaviour while in queue;
- (e) As far as possible, adequate number of biometric stations should be placed in an outside/open air environment. If indoor, adequate natural ventilation must be maintained; and
- (f) All offices shall undertake orientation of the employees on precautions to be followed.
- (g) Meetings, as far as possible, shall continue to be conducted on videoconferencing and personal meetings with visitors, unless necessary in public interest, are to be avoided.
- (h) All officers/staff shall strictly follow the COVID-appropriate behaviour, at all times, in offices.

3. In view of above, All Chief of Centre/Head of Departments/Dean/Medical Superintendent/Section Officers are requested to kindly bring the above information to the notice of all faculty members/ Officers/employees, under their control for compliance.

This issues with the approval of the Competent Authority

Hindi version will follow

प्राप्त किया / RECEIVED कम्प्यूटर राविधा / Computer Facility

(DEO NATH SAH)
CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER

To

- The Medical Superintendent With request for making necessary arrangement w.r.t. point
- The Professor I/charge Computer Facility With request for making necessary arrangement w.r.t. point-(b & e)
- The Chief Security Officer With request for making necessary arrangement w.r.t. point
   (b)
- 4. The Superintending Engineer With request for making necessary arrangement w.r.t. point (a & d)

### Copy to:

- 1. The Dean (Academic/Research/Exam)
- 2. The Medical Superintendent (Main Hospital)
- All Chief of Centres/Head of the Deptt./Units/Sections
- 4. The Dy. Secretary/SE/CSO/CAO, AIIMS, New Delhi
- The Financial Advisor/All F & CAO and All Accounts Officer-II & III/Hospital /CNC /IRCH /RPC/JPNATC/CDER/CRHS Ballabgarh
- 6. All Sr. Admn. Officer/Admn. Officer/Asstt. Admn. Officer-/Hospital /CNC /IRCH /RPC /JPNATC /CDER /CRHS Ballabgarh
- 7. All Union/Associations of AIIMS, New Delhi
  8. The Computer Facility with a request to a second to

The Computer Facility - with a request to upload this on official website of the Institute

9. The Sr. Hindi Officer - with a request to provide the Hindi version of the same for uploading on AIIMS website.

Ms Antata Sain

# अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अंसारी नगर, नई दिल्ली-29.

फा.सं.20-06/2020-स्था.-I

दिनांक:

2 2 NOV 2021

## कार्यालय ज्ञापन

विषय: नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रसार को रोकने हेतु निवारक उपाय-बायोमेट्रिक हाजिरी पुन: प्रारंभ करने संबंधी।

उपर्युक्त विषयक कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिनांक 01 नवम्बर, 2021 के का.जा.सं.11013/9/2014-स्था.ए.।।। के अनुपालन में, बुधवार दिनांक 01 दिसम्बर, 2021 से सभी स्तर के कर्मचारियों, अधिकारियों हेतु बायोमेट्रिक हाजिरी पुन: प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। इसके परिणामस्वरूप, निम्नलिखित उपाय सुनिश्चित किए जाएंगें:-

- क. बायोमेट्रिक मशीनों के पास सेनिटाइजर अनिवार्य रूप से रखे जाएं तथा सभी कर्मचारीगण हाजिरी लगाने से पहले और बाद में अपने हाथ सेनिटाइज करेंगे।
- ख. हाजिरी दर्ज करते समय सभी कर्मचारियों द्वारा छ: फीट की शारीरिक दूरी का पालन अवश्य किया जाए। यदि आवश्यकता हो, भीड़ कम करने के लिए अतिरिक्त बायोमेट्रिक हाजिरी मशीन लगाई जाएं।
- ग. सभी कर्मचारीगण, हर समय तथा साथ ही हाजिरी दर्ज करने के लिए इंतजार करते समय भी मास्क/मुख कवर पहने रहेंगे।
- घ. जहां तक संभव हो, बायोमेट्रिक स्कैनर के टचपैड/स्कैनर की निरंतर रूप से सफाई करने/पोंछने के लिए कर्मचारी तैनात किए जाएं। वे कर्मचारी कतार में खंडे कर्मचारियों को कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करने के लिए गाइड भी करेंगे।
- ड. जहां तक संभव हो, बाह्य/खुले परिवेश में पर्याप्त संख्या में बायोमेट्रिक मशीन लगाई जाएं, यदि आंतरिक हो, तो पर्याप्त प्राकृतिक वेंटिलेशन की व्यवस्था की जाए; तथा
- च. सभी कार्यालय पालन की जाने वाली सावधानियों से कर्मचारियों को अवगत कराएंगे।
- छ. जहां तक संभव हो, बैठकें विडियों-कॉन्फ्रेन्सिंग पर आयोजित की जाएंगी एवं जब तक जनहित में आवश्यक न हो, आगंतुकों के साथ व्यक्तिगत बैठकें न की जाएं।

ज. सभी अधिकारीगण/स्टाफ सदस्यगण कार्यालयों में हर समय कोविड-अनुरूप व्यवहार का सख्ती से पालन करेंगे। 3. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, सभी केंद्रों के प्रमुखगण/विभागों के अध्यक्षगण/संकायाध्यक्ष/ विकित्सा अधीक्षक/अनुभाग प्रभारीगण से अनुरोध है कि वे कृपया उपर्युक्त सूचना को अनुपालन के तिए अपने नियंत्रणाधीन सभी संकाय सदस्यों/अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी में ला दें।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(देव नाथ साह)

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

## सेवा में:-

- चिकित्सा अधीक्षक बिंदु (च) के संदर्भ में आवश्यक व्यवस्था करने के अनुरोध सहित।
- 2. प्रभारी आचार्य/कंप्यूटर सुविधा बिंदु (ख और ड.) के संदर्भ में आवश्यक व्यवस्था करने के अनुरोध सहित।
- 3. मुख्य सुरक्षा अधिकारी **बिंदु (ख)** के संदर्भ में आवश्यक व्यवस्था करने के अनुरोध सहित।
- 4. अधीक्षण अभियंता बिंदु (क और घ) के संदर्भ में आवश्यक व्यवस्था करने के अनुरोध सहित।

### प्रतिलिपि:-

- 1. संकायाध्यक्ष (शैक्षिक/अनुसंधान/परीक्षा)
- 2. चिकित्सा अधीक्षक( मुख्य अस्पताल)
- 3. सभी केंद्रों के प्रमुख/विभागों/एककों/अनुभागों के अध्यक्षगण
- उप-सचिव/अधीक्षण अभियंता/मुख्य सुरक्षा अधिकारी/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली
- 5. वित्त सलाहकार/सभी वित्त एवं मुख्य लेखा अधिकारी तथा सभी लेखा अधिकारी-॥ एवं ॥॥/ अस्पताल/ह.तं.कं./ भी.रा.अ.सं.रो.कं.अ./रा.प्र.कं./ ज.प्र.ना.ए.ट्रॉ.कं./ दंत शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र/ व्यापक ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा बल्लभगढ़
- 6. सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी/ सहायक प्रशासनिक अधिकारी/ अस्पताल/ह.तं.कें./भी.रा.अ.सं.रो.कें.अ./रा.प्र.कें./ ज.प्र.ना.ए.ट्रॉ.कें./ दं.शि.एवं अनु.केंद्र/ व्या.ग्रा.स्वा. सेवा बल्लभगढ़।
- 7. सभी यूनियन/एसोसिएशन्स, एम्स, नई दिल्ली
- 8. कंप्यूटर सुविधा इसे संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।

प्राप्त किया / RECEIVED
अध्याद्ध स्थित / Computer Facility

Sahal salahar Hall

Scanned with CamScanner